



पशुपालन और डेयरी

बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिए योजना

योग्यता:

1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष और वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
2. कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
3. किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।

मिलने वाला लाभ:

योजना के तहत वित्तीय सहायता:

प्रत्येक परिवार को राजकीय हैचरी फार्म से 10 दिन की आयु के 50 कुक्कुट पक्षी बच्चे एवं दो फीडर व दो ड्रिंकर मुफ्त में लाभार्थी के घर-द्वार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID)

सेवा शुल्क:		
सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	10/- रुपये	10/- रुपये

आरटीएस समय सीमा: प्रस्तावित 30 कार्य दिवस।